

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं० 30/2020

दिलीप सिंह पुत्र श्री अरबसिंह जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 31 कुम्हेर रोड, नगर पालिका क्षेत्र नदबई जिला भरतपुर।

..... अपीलांत

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र शिवसिंह जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 31 कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. शकुन्तला पत्नी देशराज
3. देशराज पुत्र जगदीश
4. भगवानी पत्नी बलवीर सिंह
5. प्रहलाद पुत्र मोरध्वज
6. अमृतकौर पत्नी प्रहलाद
7. पूजा पत्नी कपिल
8. कपिल पुत्र प्रहलाद
9. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस डी नदबई) नदबई, नगर पालिका नदबई जिला भरतपुर।

जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 31 कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पॉन्डेन्टान

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11.11.2020 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस. डी. एम.) नदबई

निर्णय

दिनांक : 27.11.2020

अपीलान्त द्वारा यह अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई जिला भरतपुर दिनांक 11.11.2020 के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 के नाम नगरपालिका नदबई के वार्ड संख्या 31 की मतदाता सूची में दर्ज है। इनमें से अप्रार्थी संख्या 1,4,5,6,7 व 8 के नाम ग्राम



पंचायत सोंख तहसील कठूमर जिला अलवर व अप्रार्थी संख्या 02 तथा 03 के नाम ग्राम पंचायत गांगरसोली तहसील कुम्हेर की मतदाता सूची में भी दर्ज हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण के नाम दो स्थानों की निर्वाचक नामावली में दर्ज होना कानूनन उचित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थीगण के नाम वार्ड सं० 31 कस्बा नदबई की मतदाता सूची से हटाने बावत प्रारूप 05 के तहत आपत्ति प्रार्थना पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस०डी०एम०), नदबई के समक्ष प्रस्तुत किये गए किन्तु उनके द्वारा अप्रार्थीगण के नाम वार्ड नम्बर 31 में ही यथावत रखते हुए अन्य जगह से नाम पृथक करने का आदेश पारित कर अपीलान्ट के आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस०डी०एम०), नदबई द्वारा अपनी तरफ से दूसरी जगह से नाम कटवाने की अनुशंसा की गई है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस०डी०एम०), नदबई के आदेश दिनांक 11.11.2020 को निरस्त करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 का नाम वार्ड संख्या 31 नगर पालिका नदबई की मतदाता सूची से हटाये जाने प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई से प्राप्त टिप्पणी/जबाव पर गौर किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई द्वारा अपने जबाव में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1,4,5,6,7,8 के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रगणक, भू-अभिलेख निरीक्षक कस्बा नदबई एवं तहसीलदार नदबई से जांच कराई गई। इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थीगण को वार्ड नम्बर 31 कस्बा नदबई में ही निवास करना बताते हुए इनके नाम वार्ड नम्बर 31 में ही रखे जाने की अनुशंसा की गई है। इस कारण अप्रार्थीगण का नाम वार्ड सं० 31 कस्बा नदबई में रखने का निर्णय लिया गया है। इनके नाम की ग्राम पंचायत सोंख तहसील कठूमर की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि पर कार्यवाही हेतु दिनांक 11.11.2020 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कठूमर को लिखा जा चुका है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थी सं० 2 व 3 को ग्राम पंचायत गांगरसोली तहसील कुम्हेर का होना बताया गया है, जबकि अपने आपत्ति आवेदन में

इनको ग्राम पंचायत गांगरोली तहसील नदबई का मतदाता बताया गया है, जिसके प्रमाण स्वरूप ग्राम पंचायत गांगरोली तहसील नदबई की वार्ड संख्या 10 की मतदाता सूची संलग्न की गई है। उक्त दोनों मतदाताओं के सम्बन्ध में भी प्रगणक, भू-अभिलेख निरीक्षक कस्बा नदबई एवं तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट ली गई, तो मुताबिक रिपोर्ट दोनों मतदाता वार्ड नम्बर 31 के ही निवासी होना पाया गया है। ग्राम पंचायत गांगरोली के वार्ड 10 के प्रगणक द्वारा उक्त दोनों मतदाताओं के नाम पृथक करने हेतु प्रपत्र 02 प्रस्तुत कर दिया गया है।

वार्ड संख्या 31 कस्बा नदबई के प्रगणक, भू-अभिलेख निरीक्षक कस्बा नदबई व तहसीलदार नदबई द्वारा अप्रार्थीगण की भौतिक जांच करने के उपरान्त ही अप्रार्थीगण के वार्ड संख्या 31 में निवास करने की पुष्टि कर, इन्हें इसी वार्ड में रखने की अनुशंसा किये जाने पर ई0आर0ओ0 नदबई द्वारा अप्रार्थीगण के नाम वार्ड संख्या 31 कस्बा नदबई की मतदाता सूची में यथावत रखते हुए, इनके नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटाने हेतु भी कार्यवाही की गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), नदबई द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्त काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर